

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)(५६)नियम / डीएलबी / 20 / १३२३४

दिनांक: १५ | ६ | २२

### आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान फ़िल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत फ़िल्म/टीवी शोज/टीवी रियल्टी शोज/वेब सीरीज/डोक्यूमेन्ट्री आदि की शूटिंग के लिये नगरीय निकायों द्वारा लिये जाने वाले सभी प्रकार के शुल्कों/फीस आदि से मुक्त किया जाता है।


  
(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(५६)नियम / डीएलबी / 20 / १३२३५-७७९

दिनांक: १५ | ६ | २२

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
7. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय।
9. उप नेदेशक (क्षत्राय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. निदेशक/अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
12. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी